

निरीक्षक श्री आर0 एस0 चौहान के विरुद्ध प्रचलित विभागीय एवं किस में क्या निर्णय हुआ की जानकारी

1. थाना प्रभारी लालबाग जिला बुरहानपुर में रहते हुये स्थायी/गिरफ्तारी वारंटो के रजिस्टरो का संधारण नहीं करने एवं मासिक नक्शों में वारंटो की गलत जानकारी प्रस्तुत करने की लापरवाही पर विभा.जॉच क. 03/09 दि. 12.11.09 संस्थित की गयी, जिसमें इन्हें "तीन वेतन वृद्धि के मान से एक वर्ष के लिये वेतनमान में संचयी प्रभाव से कमी करने का दण्ड" दिया गया।

2. थाना ग्वालियर (जीआरपी) के अप.क. 39/11 धारा 379 आईपीसी में सीडीआर प्राप्ति के 24 दिन पश्चात् विवेक प्र.आर. को विलम्ब से विवेचना के निर्देश देने पर पु.अ.(रे.) भोपाल के आदेश क. पुअरे/भो./स्टेनों/वि.जांच/13/14 दि. 24.09.14 द्वारा वि.जां. आवेशितकी गई, जिसमें आरोपी पाये जाने पर "आगामी एक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिये असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड" से दण्डित किया गया।

3. जीआरपी थाना ग्वालियर (एनजी) में पदस्थापना अवधि के दौरान आवेदक उदयनारायण ठाकुर नि.ग्वालियर की पत्नी के ट्रेल में चढ़ते समय अज्ञात बदमाश द्वारा पर्स चोरी होने की लिखित आवेदन पत्र देने के बावजूद उसकी रिपोर्ट दर्ज न करने पर ओदश क. पुअरे/भो./स्टेनों/वि.जां./24/14 दि. 16.12.14 द्वारा वि.जां. क. 24/14 संस्थित की गयी, जिसमें वि.जां. क. 27/14 में पुमनि/रेल/निस/वि.जां./260/18 दि. 07.07.18 द्वारा बाध्य सेवा निवृत्त के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण वि.जां.क. 24/14 स्थगित किया गया।

4. थाना प्रभारी के पद पर रहते हुये स.उ.नि. पीके शुक्ला के द्वारा दिनांक 03.12.10 को इकबाल पिता नन्हें खों नि. गेंडेवाली सडक थाना इंदरगंज ग्वा. के विरुद्ध जीआरपी थाना ग्वालियर (बीजी) में अप.क. 149/10 धारा 401 आईपीसी पंजीबद्ध कर असत्य कार्यवाही करने व प्रकरण के चालान में अभियोजन साक्षियों के कमाक में ओवरराइटिंग करने की असत्य कार्यवाही की तस्दीक कर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही प्रदर्शित करने के कारण आदेश क. पुअरे/भो./स्टेनों/वि.जां./28/14 दि. 16.12.14 द्वारा वि.जां. क. 28/14 संस्थित की गयी, जिसमें बाध्य सेवा निवृत्ति का दण्डादेश प्रभावशील होने के कारण नस्ती पुनः दण्डादेश के लिये रखी गयी। निरी. को पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता, म0प्र0 भोपाल के अंतिम आदेश क.विशा/निस/पुमनि/गुप्त./2020(019) दिनांक 27.06.2020 के द्वारा "एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड" से दण्डित किया गया है।

[ 23/3/2021 ]